

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

3 NOV 2019

क्रमांक : प. 1(24)एम.ई./ग्रुप-1/2007


जयपुर, दिनांक: 3 NOV 2019

आदेश

डॉ. रामकृष्ण काजला, सह आचार्य, सर्जरी व डॉ. मीरा कुमारी, सहायक आचार्य, निश्चेतन को कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(172)कार्मिक/क-3/जांच/2017 दिनांक 23.10.2019 के द्वारा उनके विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच कार्यवाही के अध्यक्षीन निलम्बन से बहाल किया गया है।


अतः बहाली पर उक्त दोनो चिकित्सक शिक्षकों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.स.	नाम व पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	डा. रामकृष्ण काजला, सह आचार्य, सर्जरी	मुख्यालय (निलम्बनकाल) मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
2	डा. मीरा कुमारी, सहायक आचार्य, निश्चेतन	मुख्यालय (निलम्बनकाल) मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	मेडिकल कॉलेज, अजमेर

आज्ञा से,

(आर.एन. शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज अजमेर/जोधपुर।
4. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
5. ए.सी.पी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


(शिवशंकर अग्रवाल)
शासन सहायक सचिव